न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 17 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 28.05.2025

कालू पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
—अपीलांट

बनाम

राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 02.12.2024 मिसल नम्बर 1480 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 06.01.2026**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2024 के द्वारा अपीलान्ट को मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 0.62 है0 में सें 0.06 है0 किस्म चाह–1 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा में मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की भूमि पर कब्जा जोत कर अतिकमण करने के कारण अतिकमी मानते हुए भूमि से बेदखल कर, 50 / रू. पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में 50 गुणा पेनल्टी व सिविल कारावास बाबत वर्णन किया गया है। बेदखली बाबत कोई वर्णन नोटिस में नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 287 खातेदारी की भूमि है जो मन्दिर के नाम है तथा मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा के नाम है। भूमि किसी प्राकृतिक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या शाश्वत नाबालिग मूर्ति के नाम है. तो ऐसी भूमि के संबंध में धारा 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया है, उसके संबंध में अपीलान्ट का स्पष्ट निवेदन है कि केन्द्र सरकार या राज्य

जिला कलेक्टर
टोंक

सरकार के किसी विभाग द्वारा जारी परिपत्र विधि की परिभाषा में नहीं आता है। परिपत्र केवल मात्र 6 माह के लिए वैध होते है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अतिकमी नहीं है, बल्कि सहमति से काबिज है तथा आज से काबिज नहीं है, बल्कि विगत 3–4 पीढियों से अपीलांट का परिवार ही उक्त आराजी पर काबिज है तथा आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने उसे बेदखल नहीं किया है। आलोच्य आदेश की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी तथा आलोच्य आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। नायब तहसीलदार को मन्दिर माफी की भूमि से बेंदखल करने का क्षेत्राधिकार धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त नही है,उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर होने से शून्य है,क्योंकि उक्त भूमि सिवायचक या चरागाह नही है,बल्कि मन्दिर माफी की भूमि है,जिसमे अपीलांट द्वारा खेती की जा रही है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 16.05.2025 को तब हुई जब आलोच्य आदेश की पालना में अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने हेतु राजस्व अधिकारियों की टीम गई, इस पर अपीलान्ट ने आलोच्य निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन दिया जो नकल दिनांक 16.05.2025 को ही प्राप्त हुई, उसके बाद यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत है तथा विलम्ब को माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस मे कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 287 रकबा 0.62 हे0 किस्म चाह–1 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा में मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की भूमि पर कब्जा जोत कर अतिकमण करने पर नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की भूमि पर बार–बार अतिकमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 287 रकबा 0.62 हे0 में से 0.06 हे0 किस्म चाह–1 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा पर कब्जा जोत कर अतिकमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि नायब तहसीलदार को मन्दिर माफी की भूमि से बेंदखल करने का क्षैत्राधिकार धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त नही है,उक्त निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर होने से शून्य है,क्योंकि उक्त भूमि सिवायचक या चरागाह नही है,बल्कि मन्दिर माफी की भूमि है,जिसमे अपीलांट द्वारा खेती की जा रही है,परन्तु राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज.सरकार के द्वारा जारी परिपत्र कमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दू संख्या 5 मे स्पष्ट

जिला कलेक्टर
टोंक

अंकित है कि मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार अतिकमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेगे जेसे कि राजकीय भूमि पर अतिकमी के विरूद्व करते है तथा मन्दिर मूर्ति के हितो के संरक्षण हेतु दायित्वधीन होगे। जिला कलेक्टर मूर्ति मन्दिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियो से नियमति रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेगे।

अपीलान्ट ने अपील मीमो मे उक्त भूमि पर पूर्व से ही कब्जा होना स्वीकार किया है। अतिकमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और मन्दिर श्रीजी महाराज बनेठा की भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 02.12.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)